रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 285] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 3, 1979/भाद्र 12, 1901
No. 285] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 3, 1979/BHADRA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर, 1979

सा०का०नि० 528(अ)—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पासपोर्ट नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) ये नियम पासपोर्ट नियम, 1969 (ग्यारहवां संशोधन) कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जायेंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1967 की अनुसूची 1 में क्रम संख्या 19 के बाद नीचे लिखी क्रम संख्या तथा उससे सम्बद्ध प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, यथा :—

1	2	3
"20	(क) पासपोर्ट अधिकारी, जालंधर (पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, जालंधर)	पंजाब राज्य में जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, अमृतसर और गुरदासपुर के जिले
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, जालंधर (पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, जालंधर)	—वही—
	(ग) जन-सम्पर्क अधिकारी, जालंधर (पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, जालंधर)	—वही—
	(घ) अधीक्षक, जालंधर (पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, जालंधर)	—वही—

(संख्या VI/401/11/79)
के० डी० शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 1979

G.S.R.528(E) In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Eleventh Amendment) Rules, 1979

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Passports Rules, 1967, after serial No. 19, the following serial No. and the entries relating thereto shall be added, namely:—

1	2	3
"20	(a) Passport Officer, Jullundur (Passport & Emigration Office, Jullundur)	The districts of Jullundur, Kapurthala, Hoshiarpur, Amritsar and Gurdaspur in the State of Punjab.
	(b) Assistant Passport Officer, Jullundur (Passport & Emigration Office, Jullundur)	-do-
	(c) Public Relations Officer, Jullundur (Passport & Emigration Office, Jullundur)	-do-
	(d) Superintendent, Jullundur (Passport & Emigration Office, Jullundur)	-do-

[No. VI/401/11/79]
K. D. SHARMA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979